ऋण की सामान्य शर्तें और नियम

प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 (' **डीएमआई** ' / ' **ऋणदाता** ') में है , द्वारा मुझे प्रदान किए गए ऋण के संबंध में इन सामान्य नियमों और शर्तों ("टी एंड **सी** ") को स्वीकार कर लिया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे) इन टी एंड सी की स्वीकृति के लिए डीएमआई द्वारा भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड ("ओटीपी") को दर्ज करके और ये मेरे लिए बाध्यकारी होंगे। इस नियम एवं शर्त की प्रासंगिक स्थानीय भाषा में अनुवादित प्रति डीएमआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा मांगने पर मुझे भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

1. परिभाषाएं

1.1 इन नियम एवं शर्तों तथा ऋण आवेदन में निहित नियम एवं अभिव्यक्तियाँ निम्नानुसार परिभाषित हैं:

" **उपलब्धता अवधि** " का अर्थ है, यदि उधारकर्ता ने क्रेडिट लाइन का विकल्प चुना है, तो वह अवधि जिसके भीतर उधारकर्ता स्वीकृत सुविधा के विरुद्ध स्वीकृत ऋण की निकासी का अनुरोध कर सकता है, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया गया है ;

" **उपलब्ध सुविधा** " का अर्थ है, यदि उधारकर्ता ने क्रेडिट लाइन का विकल्प चुना है, तो स्वीकृत सुविधा की अप्रयुक्त राशि;

" **उधारकर्ता " का तात्पर्य** मुख्य तथ्य विवरण में वर्णित उधारकर्ता / आवेदक से है और इसमें कोई भी कानूनी वारिस और उत्तराधिकारी शामिल हैं ;

" **उधारकर्ता का बकाया" का** अर्थ है उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को देय सभी राशियाँ , स्वीकृत ऋण के लिए, जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई भी बकाया मूल राशि , ब्याज , तथा वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उसके संबंध में देय कोई अन्य शुल्क, लागत और व्यय शामिल हैं ;

" **उपभोक्ता ऋण** " से तात्पर्य स्वीकृत ऋण से है जो डीएमआई द्वारा अनुमोदित किसी भी विक्रेता/आपूर्तिकर्ता से किसी भी अनुमोदित वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए प्रदान किया जाता है;

" **कूलिंग ऑफ पीरियड** " का अर्थ है वह अवधि, जैसा कि प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है, और उधारकर्ताओं को वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने के लिए दिया जाता है यदि उधारकर्ता ऐसे स्वीकृत ऋण को जारी न रखने का निर्णय लेता है ;

"ड्रॉडाउन" का अर्थ वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार स्वीकृत ऋण का प्रत्येक ड्रॉडाउन / संवितरण होगा,

किसी भी उधारकर्ता के बकाए के संबंध में किसी भी भुगतान के संबंध में **"देय तिथि"** वह तिथि जिस पर वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार किसी स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता से डीएमआई को कोई राशि देय होती है ;

" ईपीआई" का अर्थ पुनर्भुगतान की समतुल्य या निश्चित राशि है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों घटक शामिल हैं, जिसे उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए निश्चित अंतरालों पर भुगतान किया जाएगा (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है), जिसके परिणामस्वरूप ऐसे स्वीकृत ऋण की अवधि के भीतर स्वीकृत ऋण का पूर्ण परिशोधन हो जाएगा।

" **वित्तपोषण दस्तावेज़** " का अर्थ प्रत्येक स्वीकृत ऋण , ऋण आवेदन, मुख्य तथ्य विवरण के संबंध में है स्वीकृत ऋण और इन नियमों व शर्तों के संबंध में जारी किए गए , इसके अनुलग्नकों सहित और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा अपेक्षित किसी भी दस्तावेज स्वीकृत ऋण के संबंध में, समय-समय पर संशोधित;

" **ब्याज** " का अर्थ मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान की गई दर और तरीके से स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि पर देय ब्याज है ;

" **मुख्य तथ्य विवरण** " का अर्थ है स्वीकृत ऋण के मुख्य तथ्यों और शर्तों का विवरण , सरल और समझने में आसान भाषा में, डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को समय-समय पर लागू कानून के तहत निर्धारित मानकीकृत प्रारूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें अन्य आवश्यक जानकारी के अलावा, वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) का विवरण, संग्रह एजेंसी का विवरण, यदि कोई हो, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग ऑफ अवधि, आदि शामिल होते हैं ;

" **विलंब भुगतान शुल्क " का अर्थ है चेक के** अनादर या मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित किसी अधिदेश के कारण चूक की स्थिति में उधारकर्ता द्वारा देय बाउंस शुल्क , ऐसे अनादर की प्रत्येक घटना के लिए।

" **ऋण आवेदन** " का अर्थ है स्वीकृत ऋण/स्वीकृत सुविधा प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को प्रस्तुत किया गया निर्धारित प्रपत्र में आवेदन;

" **भौतिक प्रतिकूल प्रभाव " का अर्थ ऐसी कोई घटना है जिसका** (i) उधारकर्ता की देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता या (ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई के अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या (iii) उधारकर्ता की बकाया राशि की वसूली । डीएमआई द्वारा यह निर्धारण कि क्या किसी घटना को भौतिक प्रतिकूल प्रभाव माना जाना चाहिए, उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा;

" अतिदेय शुल्क" का अर्थ है प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित दंडात्मक शुल्क जो उन सभी राशियों पर देय है जिनका भुगतान उनकी संबंधित देय तिथियों पर नहीं किया जाता है। अतिदेय शुल्क को डीएमआई द्वारा पूंजीकृत नहीं किया जाएगा, अर्थात ऐसे अतिदेय शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा;

"गोपनीयता नीति" का अर्थ है डीएमआई की गोपनीयता नीति जो https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर उपलब्ध है ;

"उत्पाद" उपभोक्ता ऋण के संबंध में, इसका तात्पर्य मुख्य विवरण तथ्य में पहचाने गए उत्पाद या सेवा से होगा, जिसके लिए डीएमआई द्वारा ऐसा उपभोक्ता ऋण प्रदान किया जाता है;

" **उद्देश्य** " का तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित स्वीकृत ऋण के अनुमत उपयोग से है ।

"स्वीकृत सुविधा" का अर्थ है ,, यदि उधारकर्ता ने ऋण की लाइन का विकल्प चुना है, तो डीएमआई द्वारा ऋण की लाइन के लिए स्वीकृत अधिकतम राशि , जिसके विरुद्ध डीएमआई समय-समय पर स्वीकृत ऋणों के वितरण की अनुमति दे सकता है। स्वीकृत सुविधा एक परिक्रामी ऋण रेखा नहीं होगी।

"स्वीकृत ऋण" का तात्पर्य उस राशि से होगा जिसे ऋणदाता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों और ऐसे स्वीकृत ऋणों के लिए जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार निकाला जा सकता है;

" **सदस्यता ऋण** " का अर्थ स्वीकृत ऋण है जो सदस्यता ऋण उत्पाद के रूप में प्रदान किया जाता है जिसके तहत स्वीकृत ऋण उधारकर्ता को उपलब्धता अवधि के दौरान पूर्व-सहमति आवृत्ति में समान और निश्चित राशि की किस्तों में वितरित किया जाता है जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया गया है।

" **विक्रेता** " का तात्पर्य, किसी भी स्वीकृत ऋण के संबंध में, जो उपभोग ऋण की प्रकृति का है, ऐसे उत्पाद का आपूर्तिकर्ता/विक्रेता होगा, जिससे उधारकर्ता वित्तपोषित उत्पाद खरीद रहा है, जैसा कि डीएमआई द्वारा अनुमोदित है और प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में विस्तृत है।

1.1A. इस नियम एवं शर्तों में, (a) एकवचन में बहुवचन शामिल है (और इसके विपरीत) और (b) लिंग के संदर्भ में महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग के संदर्भ शामिल होंगे।

2. स्वीकृति और संवितरण

2.1 ऋण आवेदन सहित वित्तपोषण दस्तावेजों में उधारकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, डीएमआई ने वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों पर उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। यदि उधारकर्ता ने क्रेडिट लाइन का विकल्प चुना है और उसे स्वीकृत किया गया है, तो उधारकर्ता उपलब्धता अवधि के दौरान किसी भी समय उपलब्ध सुविधा की सीमा तक किसी भी राशि के संवितरण का अनुरोध कर सकता है । डीएमआई के पास ऐसे अनुरोध को अनुमति देने या अस्वीकार करने का एकमात्र और पूर्ण विवेक होगा। यदि डीएमआई ऐसे अनुरोध को मंजूरी देता है, तो उसे वित्तपोषण दस्तावेजों (ऐसे स्वीकृत ऋण के संबंध में जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरण सहित) के अनुसार स्वीकृत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। उधारकर्ता समझता है कि (i) स्वीकृत ऋण का संवितरण डीएमआई द्वारा अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार उधारकर्ता के सत्यापन और संतुष्टि के लिए जांच के पूरा होने के अधीन है और यदि ऐसा सत्यापन संतोषजनक नहीं है, तो डीएमआई स्वीकृत ऋण को रद्द करने का हकदार होगा; (ii) स्वीकृत ऋण, यदि रद्द नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर / स्वीकृति के 72 घंटे के भीतर वितरित किया जाएगा। उधारकर्ता समझता है कि उधारकर्ता को प्रदान की गई ऋण सीमा डीएमआई के आंतरिक मानदंडों और एकमात्र विवेक के अनुसार है स्वीकृत ऋण के किसी भी निरस्तीकरण की सूचना उधारकर्ता को विधिवत दी जाएगी।

2.2 स्वीकृत राशि, उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर या मुख्य तथ्य कथन में दिए गए अनुसार, उधारकर्ता के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। बशर्ते कि यदि स्वीकृत ऋण उपभोक्ता ऋण की प्रकृति का है, तो उधारकर्ता स्वीकार करता है कि स्वीकृत ऋण सीधे विक्रेता को वितरित किया जा सकता है और इस तरह के संवितरण को उधारकर्ता को संवितरण के रूप में माना जाएगा। यदि स्वीकृत ऋण सदस्यता ऋण सुविधा की प्रकृति का है, तो इसे उपलब्धता अवधि के दौरान मुख्य तथ्य कथन में दिए गए अनुसार पूर्व-सहमत आवृत्ति में समान और निश्चित राशियों के किस्तों में वितरित किया जाएगा।

2.3 उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही उस पर माल एवं सेवा कर भी देना होगा, जिसे वितरित स्वीकृत ऋण से रखा जा सकता है और उसे उधारकर्ता को वितरित किया गया माना जाएगा तथा उधारकर्ता तदनुसार संपूर्ण स्वीकृत ऋण के लिए उत्तरदायी होगा।

2.4 उधारकर्ता डीएमआई के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने स्वीकृत ऋण, बकाया राशि का विवरण देख सकते हैं और पुनर्भुगतान भी कर सकते हैं।

2.5 उधारकर्ता को कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके, बिना किसी दंड के, वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा। लुक-अप अवधि के बाद भी स्वीकृत ऋण जारी रखने वाले उधारकर्ताओं के लिए, डीएमआई की पूर्व स्वीकृति के साथ ही पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाएगी और ऐसी शर्तों और पूर्व-भुगतान शुल्कों के अधीन होगी, जैसा कि डीएमआई द्वारा मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित किया गया है।

3. ब्याज और पुनर्भुगतान

3.1 उधारकर्ता बकाया स्वीकृत ऋण के साथ-साथ ऋण का भी भुगतान करेगा। ईपीआई के माध्यम से उस पर ब्याज मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार स्वीकृत ऋण की अवधि के दौरान प्रत्येक देय तिथि पर । ईपीआई की गणना डीएमआई द्वारा स्वीकृत ऋण और उस पर देय ब्याज के परिशोधन के लिए आवश्यक रूप से की जाएगी। निर्दिष्ट अवधि के भीतर और मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अधिकतम ईपीआई से अधिक नहीं होना चाहिए । ईपीआई केवल स्वीकृत ऋण के विरुद्ध बकाया मूलधन के लिए होगा और उस पर ब्याज तथा इसमें कोई दंडात्मक शुल्क/ अतिदेय शुल्क या वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा देय कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है । स्वीकृत ऋण के संवितरण की तिथि के आधार पर पहली ईपीआई की राशि और तिथि बदल सकती है और ऐसी संशोधित तिथि और राशि उधारकर्ता को ऐसे भुगतान की देय तिथि से पहले ही सूचित कर दी जाएगी। उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार अन्य सभी राशियों और देय शुल्कों का भी भुगतान करना

होगा। डीएमआई के प्रति उधारकर्ता की देयता तभी समाप्त होगी जब ऋण खाते में बकाया राशि और सभी शुल्क (मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार) शून्य हो जाएंगे।

3.2 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि शून्य ब्याज स्वीकृत ऋण के मामले में, विक्रेता/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा DMI (स्वीकृत ऋण की मूल अवधि के लिए) को रिटर्न उपलब्ध कराया जा सकता है, जो विक्रेता/ऐसे व्यक्ति द्वारा DMI और विक्रेता/ऐसे व्यक्ति के बीच आपसी सहमति से प्रदान की गई एकमुश्त गैर-वापसी योग्य अग्रिम छूट/सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, यदि किसी भी कारण से उक्त ऋण की अवधि मूल अवधि से आगे बढ़ाई जाती है, तो उधारकर्ता स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि के साथ-साथ अतिदेय शुल्क, विलंबित भुगतान शुल्क और ऐसे अन्य ब्याज/शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है।

3.3 प्रत्येक ईपीआई का समय पर भुगतान अनुबंध का सार है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने ईपीआई की गणना की विधि को समझ लिया है और वह इस पर विवाद नहीं करेगा।

3.4 **यदि किसी ईपीआई का भुगतान उसकी नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता को विलंब की अवधि के लिए अतिदेय प्रभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त बातें डीएमआई के किसी भी अन्य अधिकार और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होती हैं, जो कि इस अनुबंध के तहत या उधारकर्ता द्वारा देय तिथियों पर अपने बकाये का भुगतान करने में चूक के संबंध में लागू कानून के तहत हो सकती हैं।**

3.5 वित्तीय दस्तावेजों में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, ईपीआई सहित उधारकर्ता की सभी बकाया राशि, उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को तब देय होगी जब डीएमआई द्वारा मांग की जाएगी, अपने विवेकानुसार और बिना किसी कारण बताए। उधारकर्ता को ऐसी राशि, बिना किसी देरी या आपत्ति के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर चुकानी होगी।

3.6 ब्याज दर /किसी अन्य शुल्क को संशोधित करने का हकदार होगा और डीएमआई बकाया स्वीकृत ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ईपीआई/ईपीआई की संख्या की पुनर्गणना कर सकता है । डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया गया ऐसा कोई भी परिवर्तन भावी रूप से लागू होगा और उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे संशोधन के मामले में उधारकर्ता ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, बिना किसी पूर्व भुगतान दंड के, अर्जित ब्याज (यदि लागू हो) के साथ संपूर्ण बकाया स्वीकृत ऋण का पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा।

3.7 ऋणकर्ता को सभी शुल्क, उपकर और अन्य प्रकार के करों का वहन करना होगा, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, किसी भी कानून के तहत किसी भी समय देय होंगे, जो कि वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में हैं। ऋणकर्ता सभी देय राशियों और सभी लागतों, शुल्कों, लेवी आदि के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि डीएमआई द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों को लागू करने या स्वीकृत ऋणों के संबंध में कोई भी वसूली कार्यवाही करने में खर्च किए गए हैं। ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि यदि इन नियमों और शर्तों पर कोई स्टाम्प शुल्क लागू होता है, तो ऋणकर्ता इसके लिए उत्तरदायी होगा। यदि उपर्युक्त कोई भी शुल्क, शुल्क, कर देय है, तो ऋणकर्ता को भुगतान करना होगा। और यदि ये लागतें डीएमआई द्वारा वहन की जाती हैं, तो इन्हें उधारकर्ता से वसूल किया जाएगा और भुगतान की तिथि से प्रतिपूर्ति तक अतिदेय प्रभार वहन किए जाएंगे।

3.8 वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी विपरीत नियम और शर्तों के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि को सबसे पहले लागत, प्रभार, खर्च और अन्य धनराशि के लिए; दूसरे, अतिदेय प्रभारों के लिए, यदि कोई हो; तीसरे, ब्याज के लिए; और अंत में स्वीकृत ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए विनियोजित किया जाएगा ।

3.9 ब्याज , अतिदेय प्रभार और अन्य सभी प्रभार दिन-प्रतिदिन अर्जित होंगे और उनकी गणना 30/360 दिन की परिपाटी के आधार पर की जाएगी ।

3.10 यदि किसी भुगतान की देय तिथि कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान तुरंत अगले व्यावसायिक दिन पर किया जाएगा।

3.11 डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा देय सभी राशि बिना किसी कटौती के चुकाई जाएगी। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल देय राशि की वसूली पर ही दिया जाएगा।

3.12 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ब्याज दर , दंडात्मक/अतिदेय शुल्क, सेवा शुल्क और अन्य शुल्क उधारकर्ता द्वारा देय हैं या भुगतान करने के लिए सहमत हैं। वित्तपोषण दस्तावेज उसके लिए उचित एवं स्वीकार्य हैं।

4. भुगतान, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान का तरीका

4.1 ऋणकर्ता, समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपेक्षित अनुसार, बकाया राशि के भुगतान के लिए ऋणकर्ता के बैंक खाते के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा अधिसूचित ईसीएस/नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) (डेबिट क्लियरिंग)/ कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग मैंडेट (सामूहिक रूप से " **मैंडेट " के रूप में संदर्भित) प्रदान करेगा। ऐसा मैंडेट ऐसे बैंक से** और ऋणकर्ता के ऐसे खाते से निकाला जाएगा जो स्वीकार्य हो। डी.एम.आई. को। उधारकर्ता को देय तिथियों / अधिदेश की पहली प्रस्तुति पर बिना चूके सभी भुगतान करने होंगे । उधारकर्ता द्वारा प्रदान किया गया अधिदेश डी.एम.आई. द्वारा उधारकर्ता के किसी भी बकाया की वसूली के लिए उपयोग किया जा सकता है। उधारकर्ता इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डी.एम.आई. को उधारकर्ता को अग्रिम सूचना के साथ या उसके बिना ऐसी वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है । उधारकर्ता तुरंत (और किसी भी स्थिति में सात (7) दिनों के भीतर) अधिदेश को बदल देगा। और/या उधारकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए निष्पादित अन्य दस्तावेज जो समय-समय पर

डीएमआई द्वारा अपने विवेकानुसार मांगे जा सकते हैं। अधिदेश पंजीकरण की अस्वीकृति के मामले में, उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार एनएसीएच/अधिदेश अस्वीकृति शुल्क का भी भुगतान करेगा।

4.2 उधारकर्ता को हर समय अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि रखनी होगी ताकि वह संबंधित देय तिथियों पर उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान कर सके। उधारकर्ता उस बैंक खाते को बंद नहीं करेगा जिससे अधिदेश जारी किया गया है या अधिदेश के तहत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए बैंक या डीएमआई को निर्देश जारी नहीं करेगा और डीएमआई ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे किसी भी निर्देश को भी डिफ़ॉल्ट की घटना माना जाएगा।

4.3 उधारकर्ता द्वारा दिया गया ईसीएस/एनएसीएच अधिदेश या ऐसा कोई अन्य अधिदेश किसी भी कारण से अवैध है।

4.4 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश उधारकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए स्वैच्छिक रूप से जारी किया गया है, न कि किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा के रूप में। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी अधिदेश का अनादर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881/भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के तहत एक आपराधिक अपराध है। उधारकर्ता प्रत्येक अधिदेश अनादर के लिए विलंब भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित है)।

4.5 किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या मतभेद, उधारकर्ता को किसी भी ईपीआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देगा और डीएमआई को देय तिथियों पर अधिदेश प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

4.6 अधिदेश जारी होने के बावजूद, ऋणदाता बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

4.7 इसके अतिरिक्त, डीएमआई एनईएफटी/आरटीजीएस/भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से भी भुगतान स्वीकार करेगा और उधारकर्ता(ओं) को उधारकर्ता की बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक होने पर ऐसे विकल्पों का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश के अलावा अन्य तरीकों से बकाया राशि के भुगतान की स्थिति में लेन-देन के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। और इससे वसूली की जा सकेगी ऋण लेने वाले।

5. उधारकर्ता की शर्तें, प्रतिनिधित्व और वारंटी

5.1 उधारकर्ता को:

(i) वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का पालन और निष्पादन करना ;

(ii) तुरंत सौंपे, जिसमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जैसा कि डीएमआई द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो सकता है। उधारकर्ता डीएमआई को स्वतंत्र रूप से (i) किसी भी बैंक के साथ संवाद करने के लिए अधिकृत करता है, जहां उधारकर्ता का खाता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण प्राप्त करने के लिए और (ii) किसी भी उधारकर्ता के किसी भी नियोक्ता के साथ, जैसा कि डीएमआई आवश्यक समझे, उधारकर्ता की ऋण पात्रता की निगरानी करने के लिए भी अधिकृत करता है ;

(iii) किसी भी उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की सूचना तुरंत डीएमआई को देना ;

(iv) किसी भी प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में डीएमआई को सूचित करना ;

(v) कार्यालय/निवास/व्यवसाय के स्थान/पते में सभी परिवर्तनों या रोजगार/पेशे/व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन/त्यागपत्र/समाप्ति/बंद होने की लिखित रूप में डीएमआई को सूचित करना ;

(vi) नहीं छोड़ना चाहिए या लंबे समय तक विदेश में नहीं रहना चाहिए, तब तक बकाया स्वीकृत ऋण को ब्याज सहित पूरी तरह से चुकाना नहीं चाहिए। और अन्य बकाया एवं प्रभार ;

(vii) मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्वीकृत ऋण का उपयोग नहीं करेगा और विशेष रूप से इसका उपयोग (क) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करेगा, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (ख) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए या (ग) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए या (घ) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है ;

(viii) प्रदान करना , यदि कोई हो, या किसी भी उधारकर्ता की ऋण पात्रता में किसी भी परिवर्तन के मामले में डीएमआई द्वारा अपेक्षित हो (जैसा कि डीएमआई द्वारा निर्धारित किया जाता है);

(ix) वेतन और/या व्यावसायिक आय को उस खाते में जमा करना सुनिश्चित करें जिससे डीएमआई को अधिदेश जारी किए गए हैं;

(x) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करना ।

5.2 उधारकर्ता डीएमआई के समक्ष निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और वारंट करता है:

(i) ऋण आवेदन में उधारकर्ता द्वारा दी गई सभी जानकारी और अन्य दस्तावेज, चाहे वह उधारकर्ता की ऋण पात्रता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो या न हो, सत्य और सही है और किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है ;

(ii) ऋणकर्ता सभी लागू कानूनों के तहत वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके तहत लेनदेन को निष्पादित करने और निष्पादित करने में सक्षम और हकदार है;

(iii) उधारकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक है और यह नियम एवं शर्तें उसके लिए एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है , जो इसकी शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध लागू करने योग्य है;

(iv) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि उसे स्वीकृत सुविधा या स्वीकृत ऋण प्राप्त करने से किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है ;

(v) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि वह समझता है और उसने मुख्य तथ्य विवरण और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार स्वीकृत सुविधा / स्वीकृत ऋण को अपनी स्वतंत्र इच्छा से और किसी तीसरे पक्ष के दबाव/प्रभाव/दबाव के बिना प्राप्त करने के लिए सहमति दी है।

(vi) ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो डीएमआई के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसकी देयता को प्रभावित करेगी;

(vii) उधारकर्ता किसी भी कर या सरकारी बकाया का भुगतान करने में चूककर्ता नहीं है;

(viii) उधारकर्ता इस T&C की शर्तों को प्रभावी करने के लिए डीएमआई द्वारा अपेक्षित सभी कार्य, कर्म और चीजें करेगा;

(ix) उधारकर्ता के विरुद्ध कोई दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही नहीं है ।

5.3 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर डीएमआई गोपनीयता नीति पढ़ ली है, और उस पर अपनी सहमति दे दी है । उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई या अन्यथा डीएमआई द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग, भंडारण और प्रसंस्करण करने के लिए अपनी सहमति देता है, स्वीकृत ऋण, उसके पुनर्भुगतान और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुपालन और डीएमआई की व्यावसायिक आवश्यकताओं और किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए जैसा कि गोपनीयता नीति में विस्तृत है या जिसके लिए उधारकर्ता ने किसी अन्य तरीके से अपनी सहमति प्रदान की है। उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि डीएमआई लागू कानून के अधीन, अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी भी अन्य तीसरे पक्ष को आवश्यकता के आधार पर या डीएमआई गोपनीयता नीति में प्रदान किए गए अनुसार या किसी वैधानिक / नियामक आवश्यकता के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

5.4 उपभोक्ता ऋण के संबंध में, उधारकर्ता निम्नलिखित बातों पर भी सहमत होता है, वचनबद्ध होता है और वचनबद्धता रखता है:

(i) किसी भी उत्पाद के खरीद मूल्य में किसी भी वृद्धि के कारण उधारकर्ता स्वीकृत ऋण में किसी भी वृद्धि का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, खरीद मूल्य में किसी भी कमी की स्थिति में, डीएमआई अपने विवेक से स्वीकृत ऋण की मूल राशि को कम कर सकता है;

(ii) विक्रेता/निर्माता उत्पाद की डिलीवरी के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा और डीएमआई उत्पाद की डिलीवरी या गैर-डिलीवरी में किसी भी देरी के लिए और/या उक्त उत्पाद की गुणवत्ता, स्थिति, फिटनेस, उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा;

(iii) उत्पाद पर खरीदी गई कोई भी वारंटी उत्पाद के निर्माता द्वारा प्रदान की गई तृतीय पक्ष सेवा है और डीएमआई ऐसी वारंटी के लिए उत्तरदायी नहीं है;

(iv) उत्पाद रद्दीकरण के मामले में, डीएमआई प्रासंगिक स्वीकृत ऋण को केवल तभी चुकाया हुआ मानेगा जब विक्रेता ऋणदाता द्वारा विक्रेता की वापसी नीति के अनुपालन पर डीएमआई को राशि वापस कर दे। इस तरह की वापसी के मामले में, डीएमआई ऋणदाता द्वारा भुगतान की गई ईपीआई, यदि कोई हो, को खरीद और वापसी के बीच की अवधि के लिए ब्याज (यदि कोई हो) घटाकर वापस कर देगा, और स्वीकृत ऋण को पूरी तरह से चुका हुआ मान लेगा। प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी;

(v) डीएमआई की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान होने तक, उधारकर्ता डीएमआई की सहमति के बिना उत्पाद का आंशिक कब्जा या स्वामित्व नहीं लेगा या उस पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण नहीं करेगा;

(vi) डीएमआई के पास उत्पाद पर पहला और अनन्य प्रभार होगा।

6. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

6.1 निम्नलिखित कार्य/घटनाएँ प्रत्येक स्वीकृत ऋण के प्रयोजनों के लिए उधारकर्ता द्वारा "चूक की घटना" मानी जाएँगी :

(i) उधारकर्ता निर्धारित तिथि पर किसी भी उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्त, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन;

(iii) कोई धोखाधड़ी या गलत बयान या भौतिक जानकारी को छिपाना, जिससे डीएमआई द्वारा किसी स्वीकृत ऋण को देने के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो ;

(iv) उधारकर्ता की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता;

(v) उधारकर्ता स्वीकृत ऋण / स्वीकृत सुविधा का उपयोग उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है या वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है;

(vi) किसी भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी परिवर्तन सहित) का घटित होना, जो डीएमआई के एकमात्र और पूर्ण विचार में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसमें उधारकर्ता के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा या उसकी किसी भी संपत्ति की कुर्की/प्रतिबंध शामिल है ;

6.2 डीएमआई का निर्णय कि चूक की घटना घटित हुई है या नहीं, उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

7. चूक के परिणाम

7.1 किसी भी डिफ़ॉल्ट की घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को किसी भी स्वीकृत ऋण / स्वीकृत सुविधा के विरुद्ध सभी संवितरणों को रोकने, स्वीकृत ऋण के संबंध में बकाया सभी राशियों को, चाहे देय हों या नहीं, तुरंत चुकाने योग्य घोषित करने का अधिकार होगा लेकिन दायित्व नहीं होगा और उधारकर्ता द्वारा 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहने पर, डीएमआई अपने विवेक से किसी भी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो डीएमआई को किसी भी लागू कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है, जिसमें उधारकर्ता या उनकी संपत्तियों के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है। पूर्वोक्त के बावजूद, यदि उधारकर्ता ऐसे भुगतान की देय तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उधारकर्ता के बकाए का भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीएमआई को अन्य बातों के साथ-साथ उसे एक गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने और क्रेडिट ब्यूरो को तदनुसार रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

7.2 उधारकर्ता पूर्वोक्त चूकों या डीएमआई उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न सभी कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा।

7.3 इसके अलावा, उपभोक्ता ऋणों के संबंध में, किसी भी डिफ़ॉल्ट की घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को लागू कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उत्पाद का कब्जा लेने का बिना शर्त अधिकार होगा, जिसमें कब्जा लेने से पहले उधारकर्ता को उचित नोटिस देना भी शामिल है, और उधारकर्ता इसमें बाधा नहीं डालेगा या इसे रोकेगा नहीं। डीएमआई किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी हुए बिना, सार्वजनिक या निजी नीलामी या निजी बिक्री द्वारा उत्पाद को बेचने, किराए पर देने या अन्यथा सौदा करने का हकदार होगा, और उसके शुद्ध लाभ को सबसे पहले कब्जा लेने या ऐसी बिक्री के संबंध में हुए सभी खर्चों की संतुष्टि के लिए लागू करेगा, और/या दूसरी बात ब्याज के शेष और उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को देय अन्य राशियों के भुगतान के लिए और फिर स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि के भुगतान के लिए कटौती करेगा हालाँकि, यदि कोई कमी है, तो उसे उधारकर्ता द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और डीएमआई द्वारा उत्पाद का कब्ज़ा या बिक्री उधारकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। हालाँकि, डीएमआई उत्पाद को उधारकर्ता को सौंप देगा यदि उत्पाद की बिक्री पूरी होने से पहले डीएमआई की संतुष्टि के लिए सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।

8. खुलासे

8.1 उधारकर्ता डीएमआई को उधारकर्ता, स्वीकृत ऋण, उधारकर्ता द्वारा की गई चूक (यदि कोई हो) से संबंधित सभी जानकारी और डेटा को ऐसे तीसरे पक्ष/एजेंसियों के समक्ष प्रकट करने के लिए स्वीकार करता है और अधिकृत करता है, जिन्हें डीएमआई स्वीकृत ऋण के संबंध में अपने अधिकारों और उपायों के प्रयोग के लिए प्रकट करना उचित और आवश्यक समझे। और /या RBI द्वारा अधिकृत, जिसमें ट्रांसयूनियन CIBIL लिमिटेड (CIBIL) शामिल है । उधारकर्ता भी स्वीकार करता है और अधिकृत करता है कि ऐसी जानकारी का उपयोग, प्रसंस्करण DMI / तीसरे पक्ष / CIBIL / RBI द्वारा किया जाएगा, जैसा कि वे उचित समझें और लागू कानूनों के अनुसार। इसके अलावा, चूक की स्थिति में, डीएमआई और ऐसी एजेंसियों को उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों, जैसा भी लागू हो, का नाम 'चूककर्ता' के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसे डीएमआई/सीआईबीआईएल/आरबीआई/अन्य अधिकृत एजेंसी अपने पूर्ण विवेक से उचित समझें, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सोशल मीडिया भी शामिल हैं।

8.2 उधारकर्ता डीएमआई को अभी या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या प्रकट करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और न ही उधारकर्ता और/या अन्य को इसके कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। इस खंड 8 के प्रावधान T&C की समाप्ति और उधारकर्ता के बकाया के पुनर्भुगतान के बाद भी लागू रहेंगे।

9. मिश्रित

9.1 डीएमआई के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां उधारकर्ता की देयताओं के अस्तित्व और राशि का निर्णायक साक्ष्य होंगी तथा डीएमआई द्वारा प्रस्तुत देयताओं का कोई भी विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा उस पर बाध्यकारी होगा ।

9.2 यदि एक से अधिक उधारकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किसी स्वीकृत सुविधा के लिए आवेदन किया है, तो उधारकर्ता की देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता का दायित्व संयुक्त और अलग-अलग होगा।

9.3 उधारकर्ता सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और डीएमआई द्वारा अपेक्षित डीएमआई के साथ सहयोग करेगा (i) किसी भी आरबीआई दिशा-निर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करने के लिए या (ii) डीएमआई को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों का पूरा लाभ देने के लिए। उपर्युक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उधारकर्ता इस बात पर अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि ऐसा करने में विफल होने पर, ऐसे परिवर्तनों को वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल माना जाएगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

9.4 किसी भी स्वीकृत ऋण के निलंबन या समाप्ति के बावजूद, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार डीएमआई के सभी अधिकार और उपचार तब तक जारी रहेंगे जब तक कि डीएमआई को उधारकर्ता की बकाया राशि पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाती।

9.5 उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह मानता और स्वीकार करता है कि डीएमआई , स्वयं या अपने कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , लागू कानूनों के अधीन एक या एक से अधिक तृतीय पक्षों को नियुक्त करने का हकदार और पूर्ण शक्ति और अधिकार रखता है (जिसे आगे " **सेवा प्रदाता** " कहा जाएगा) जैसा कि डीएमआई चुन सकता है और उधारकर्ता प्रशासन से संबंधित जानकारी के स्रोत, पहचान और सत्यापन से संबंधित वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्ति को ऐसे पक्ष को सौंप सकता है, स्वीकृत ऋण की निगरानी कर सकता है और नोटिस भेजने, उधारकर्ता से संपर्क करने, नकद / चेक प्राप्त करने सहित इससे जुड़े और प्रासंगिक सभी वैध कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को निष्पादित और निष्पादित कर सकता है। ड्राफ्ट डीएमआई के पक्ष में उधारकर्ता से अधिदेश। सेवा प्रदाता को उधारकर्ता से देय किसी भी बकाया राशि के लिए ऋणदाता द्वारा वसूली / संग्रह एजेंट / एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे वसूली एजेंट / एजेंसी का विवरण मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया जाएगा या उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा जब भी डीएमआई द्वारा परिवर्तन या अद्यतन किया जाएगा ।

9.6 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस वित्तपोषण लेनदेन से उसके और डीएमआई के बीच देनदार और लेनदार का रिश्ता बनता है, न कि डीएमआई द्वारा दी गई/दी जाने वाली किसी सेवा के संबंध में। तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान इस लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

9.7 उधारकर्ता डीएमआई को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय प्रमाण दस्तावेज, निवास दस्तावेज, पता प्रमाण दस्तावेज, पहचान दस्तावेज और व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी वाले अन्य ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जो किसी भी स्वीकृत ऋण / स्वीकृत सुविधा प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और वे लागू कानूनों के अनुरूप डीएमआई द्वारा बाद में उन्हें बनाए रखने के लिए भी सहमति देते हैं।

9.8 उधारकर्ता डीएमआई को समय-समय पर उधारकर्ता का पैन नंबर/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाते का विवरण प्राप्त करने और सीआईबीआईएल, एक्सपेरियन, हंटर रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट बनाने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है, जब भी डीएमआई उचित समझे। उधारकर्ता इसके द्वारा डीएमआई को आधार ई-केवाईसी या अन्यथा द्वारा अपना केवाईसी सत्यापन करने और आधार ई-केवाईसी सहित ऐसे सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करने के लिए अपनी ओर से या अन्यथा आवश्यक सभी कार्रवाई करने और ऐसी जानकारी को किसी भी प्राधिकरण के साथ साझा करने और ऐसी जानकारी को उस तरीके से संग्रहीत करने के लिए अधिकृत करता है , जो लागू कानूनों के अधीन है।

9.9 किसी भी घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य संबंधी जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कृत्य, चूक, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के संबंध में डीएमआई और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में , उपर्युक्त में से किसी की भौतिकता के संबंध में डीएमआई की राय अंतिम होगी और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

10. गंभीरता

उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि उसके प्रत्येक इन वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत उसके दायित्व स्वतंत्र हैं तथा शेष से पृथक हैं।

11. शासन कानून और अधिकार क्षेत्र

11.1 सभी स्वीकृत सुविधाएं और वित्तपोषण दस्तावेज़ों को इसके अनुसार नियंत्रित और व्याख्यायित किया जाएगा। भारत के कानून.

11.2 इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या इनके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के बारे में या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत पार्टियों के अधिकार और दायित्वों के बारे में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या इसके प्रतिस्थापन के लिए अधिनियमित किसी भी क़ानून के प्रावधान के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा और कार्यवाही अधिनियम की धारा 29(बी) में निर्धारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत होगी। मध्यस्थता के अंतरिम पुरस्कारों सहित पुरस्कार अंतिम होंगे और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। मध्यस्थ ऐसे पुरस्कार में कोई कारण बताए बिना पुरस्कार पारित कर सकता है।

11.3 इसके अलावा, वर्तमान खंड वित्तपोषण दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी लागू रहेगा। दिल्ली, भारत के न्यायालयों को वित्तपोषण दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी या सभी विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र (मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन जो दिल्ली, भारत में भी आयोजित की जानी है) होगा ।

12. नोटिस

12.1 वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में उधारकर्ता को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब उसे उधारकर्ता को दिया जाए या पंजीकृत डाक से उधारकर्ता के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यावसायिक या निजी पते पर भेजा जाए या छोड़ा जाए। पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस उधारकर्ता को पोस्ट किए जाने के 48 घंटों के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। डीएमआई को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब वह डीएमआई द्वारा उसके ऊपर बताए गए पते पर प्राप्त किया गया हो।

12.2 स्वीकृत सुविधा के संबंध में उधारकर्ता को किसी भी शिकायत के लिए, वह मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित विवरण के माध्यम से ऋणदाता से संपर्क कर सकता है।

13. कार्यभार

13.1 ऋणी को डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व या कर्तव्यों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित या सौंपने या किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई तृतीय-पक्ष हित बनाने का अधिकार नहीं होगा।

13.2 डीएमआई को किसी भी तरीके से (पूरी तरह या आंशिक रूप से और भागीदारी अधिकारों के अनुदान के माध्यम से) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और / या देनदारियों को बेचने, हस्तांतरित करने, सौंपने या सुरक्षित करने का अधिकार होगा, उधारकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना या उसे सूचित किए बिना, ऐसे तरीके और शर्तों के अनुसार जो डीएमआई तय कर सकता है। ऐसे हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, उधारकर्ता ऐसे असाइनी या ट्रांसफरर के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्व का पालन करेगा और उसे पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता डीएमआई द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर शेष अधिदेश को हस्तांतरिती/असाइनी के पक्ष में प्रतिस्थापित करेगा।

14. हानि से सुरक्षा

उधारकर्ता इसके द्वारा डीएमआई, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति, बचाव और दायित्व देता है , और परामर्शदाताओं को समय-समय पर और हर समय किसी भी देयता, दावे, हानि, निर्णय, क्षति, लागत या व्यय (जिसमें बिना किसी सीमा के, युक्तिसंगत वकील की फीस और व्यय शामिल हैं) के प्रति हानिरहित रखते हैं, जो ऋणी द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम व शर्तों और दायित्वों का पालन करने में विफलता या चूक की घटना या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई द्वारा किसी भी अधिकार के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें ऋणी के बकाए की किसी भी सुरक्षा या वसूली का प्रवर्तन शामिल है।

15. **परिसंपत्ति वर्गीकरण :** डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (**"डीएमआई"**) उधारकर्ता को सूचित करता है कि, **अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार - भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई ") द्वारा जारी 12 नवंबर, 2021 के स्पष्टीकरण, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है,** डीएमआई उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को, चूक होने पर तुरंत, **विशेष उल्लेख खातों** के रूप में वर्गीकृत करके पहचाना जाएगा **("एसएमए")** वर्गीकरण के नीचे उल्लिखित आधार के अनुसार;

"अतिदेय तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन उधारकर्ता खातों को दिन की अंतिम प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

उदाहरण: यदि ऋण खाते की देय तिथि महीने की 15-मार्च-22 है और डीएमआई द्वारा इस तिथि के लिए डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उधारकर्ता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

ईपीआई नियत तिथि	**15-मार्च-22**	**देय तिथि से अधिक दिन (DPD)**	**-**
ईपीआई अतिदेय	15-मार्च-22	0-30	एसएमए0
ईपीआई अतिदेय बनी हुई है (दिन के अंत तक प्रक्रिया प्राप्त नहीं हुई)	14-अप्रैल-22	31-60	एसएमए1
ईपीआई का लंबित रहना	14-मई-22	61-90	एसएमए2
ईपीआई का लंबित रहना	13-जून-22	91 और उससे अधिक	एनपीए

<u>एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन का संपूर्ण बकाया चुका दिया गया हो।</u>

उदाहरण:

विवरण	परिद्रश्य 1*	परिदृश्य 2
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईपीआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय ईपीआई	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
शेष अतिदेय ईपीआई	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	उधारकर्ता का निम्नलिखित रूप में रिपोर्ट किया जाता रहेगा संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान होने तक एनपीए	मानक

**आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/158 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी, 2022 के संदर्भ में, परिदृश्य 1 (एनपीए के रूप में वर्गीकृत को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।*

टिप्पणी

i. एनपीए खातों की रिपोर्टिंग अब दैनिक आधार पर की जाएगी।
ii. डीएमआई से एक से अधिक ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, सभी ऋणों से संबंधित ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का पुनर्भुगतान करने पर ही ऋण खातों को एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा।
iii. किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए, डीएमआई सभी उधारकर्ताओं से आग्रह करता है कि वे ऋण चुकौती अनुसूची/मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित नियत तिथि के अनुसार अपना ईपीआई भुगतान करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार, दंड से बचने और टॉप-अप ऋण/ऑफ़र के लिए बेहतर पात्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है।
iv. हम सभी उधारकर्ताओं को लॉग इन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं https://portal.dmifinance.in/ ईपीआई का भुगतान करने के लिए ।

16. **स्वीकृति:**

मैं/हम जानते हैं कि डीएमआई इस नियम एवं शर्तों का हिस्सा बनने के लिए तभी सहमत होगा जब मैं/हम डीएमआई नीति के अनुरूप नियम एवं शर्तों तथा अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में मेरे/हमारे द्वारा भरी गई सभी शर्तों तथा विवरणों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लूंगा । मैं/हम सहमत हैं कि यह नियम एवं शर्तें डीएमआई द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने पर या स्वीकृत ऋण के प्रथम संवितरण की तिथि पर, जो भी पहले हो, कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएंगी ।

किसी भी उपभोक्ता वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद के उद्देश्य से प्रदान किए गए स्वीकृत ऋणों के संबंध में, मैं स्वीकृत ऋण के संबंध में सभी उधारकर्ता बकाए को सुरक्षित करने के लिए डीएमआई के पक्ष में एक सतत सुरक्षा के रूप में वित्तपोषित उत्पाद को बंधक रखता हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं स्वीकृत ऋण का उपयोग मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूंगा और विशेष रूप से इसका उपयोग (ए) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करूंगा, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (बी) प्राथमिक सोना, सोने की ईंट, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (डी) किसी भी गतिविधि

के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

हस्ताक्षर करके या "मैं स्वीकार करता हूँ"/ई-हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करता है, और उनकी शर्तों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करने से निम्नलिखित का गठन होगा: (I) उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की सहमति; और (II) उधारकर्ता द्वारा यह स्वीकारोक्ति और पुष्टि कि ये नियम और शर्तें (साथ में वित्तपोषण दस्तावेज़) उधारकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ लिए गए हैं और पूरी तरह से समझ लिए गए हैं।

अनुबंध a

मुख्य तथ्य कथन

दिनांक: **विनियमित इकाई का नाम** डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड **ऋण संदर्भ/आवेदन संख्या:**

आवेदक का नाम:

क्रमांक।	**पैरामीटर**	**विवरण**
1	ऋण का प्रकार एवं उद्देश्य ऋण का उपयोग केवल इस मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा: (ए) पूंजी बाजार में कोई भी निवेश, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (बी) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।	[●]
2.	स्वीकृत सुविधा (जैसा लागू हो)	
3	स्वीकृत ऋण (जैसा लागू हो)	
4	संवितरण अनुसूची (i) चरणबद्ध तरीके से या 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो ऋण की शर्त का उल्लेख करें प्रासंगिक विवरण वाला समझौता	100% अग्रिम
5	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)	[●] महीने
	किस्त का विवरण	
ए	किश्तों का प्रकार	महीने के
बी	ईपीआई की संख्या	
सी	ईपीआई (₹)	
डी	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
6	**ब्याज दर** % **और प्रकार** – घटती शेष राशि पर निश्चित	% पीए
7	ऋण की पूरी अवधि के दौरान लगाया गया कुल ब्याज (रुपये में)	
8	**शुल्क/प्रभार** , (यदि कोई हो) (प्रत्येक घटक का विवरण नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)	ए+बी+सी
ए	प्रसंस्करण शुल्क (जीएसटी सहित), यदि कोई हो (रुपये में) (एक बार)	
बी	बीमा (जीएसटी सहित) (रुपये में) (एकमुश्त)	
सी	कोई अन्य शुल्क (जीएसटी सहित) (यदि कोई हो) (रुपये में) (एक बार)	
9	शुद्ध वितरित राशि (रुपये में)	
10	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (रुपये में)	

11	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) %**	%
1 2	ऋण भुगतान का तरीका	अधिदेश
आकस्मिक शुल्क के बारे में विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो) *		
1 3	विलंबित भुगतान शुल्क -	
1 4	**पूर्व-बंदोबस्ती शुल्क -**	
1 5	**अतिदेय सी हार्गेस -**	
1 6	**अन्य शुल्क (वैकल्पिक मोड/गैर-नच के लिए लागू) - 30 रुपये तक + जीएसटी**	
17	**एनएसीएच अस्वीकृति शुल्क – एनए**	
18	**डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**	
(ए)	**डीएमआई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति** के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि , जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	**5 दिन**
(बी)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	
(सी)	वसूली के अलावा ऋण संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले एलएसपी/सोर्सिंग पार्टनर/चैनल का नाम (अर्थात सोर्सिंग, मार्केटिंग आदि)	
19	ऋण समझौते का खंड / वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित सामान्य नियम और शर्तें	**धारा 9.5**
20	ऋण समझौते का खंड / सामान्य नियम और शर्तें जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	**खंड 12.2**
21	क्या ऋण अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है या भविष्य में किया जा सकता है - (हां/नहीं)	**हाँ**
22	**गोपनीयता नीति** - https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/	
2 3	**नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी** **शिकायत निवारण अधिकारी (उपभोक्ता ऋण)** नाम- आशीष सरीन पद- वरिष्ठ उपाध्यक्ष - ग्राहक सफलता ईमेल पता: head.services@dmifinance.in/ Grievence@dmifinance.in पता: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 संपर्क नंबर: 011-41204444 **https://www.dmifinance.in/fair-practice/**	

* आकस्मिक शुल्क कंपनी की नीति के आधार पर बदला जा सकता है

संवितरण विवरण (जिस खाते में संवितरण किया जाना है)

मात्रा		**बैंक का नाम**	
खाता धारक का नाम		**शाखा आईएफएससी**	
खाता नंबर।			

टिप्पणी

https://www.dmifinance.in/investor-relations/policies/ पर उपलब्ध डीएमआई की ब्याज दर और शुल्क नीति देखें।

स्वीकृति:

मैं/हम ("उधारकर्ता") इस मुख्य तथ्य विवरण की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं और मेरी/हमारी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि उपरोक्त शर्तों पर डीएमआई द्वारा प्रदान किया गया स्वीकृत ऋण ऋण की सामान्य शर्तों और नियमों, इस मुख्य तथ्य विवरण, ऋण आवेदन सहित अनुलग्नकों और मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित या स्वीकृत ऋण के संबंध में डीएमआई द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज द्वारा शासित होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ("वित्तपोषण दस्तावेज")।

मैं/हम वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिए सहमत हैं। मैं/हम समझते हैं कि मेरी/हमारी स्वीकृति में शामिल होगा: (i) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की मेरी/हमारी सहमति; और (ii) उधारकर्ता की स्वीकृति और पुष्टि कि इस मुख्य तथ्य कथन (अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को मैंने/हमने स्थानीय भाषा में या मेरे/हमारे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हम स्वीकृत ऋण का उपयोग इस मुख्य तथ्य कथन में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे और विशेष रूप से इसका उपयोग (क) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करेंगे, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (ख) किसी भी रूप में सोने की खरीद, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं या (ग) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (घ) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है ।

अनुलग्नक बी

खुदरा ऋण के लिए APR की गणना के लिए चित्रण

सीनियर नहीं।	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 3 - अनुलग्नक ए)	20,000
2	**ऋण अवधि (महीनों में) (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 5 – अनुलग्नक ए)**	24
ए)	गैर-समतुल्य आवधिक ऋणों के मामले में मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या	-
बी)	(i) ईपीआई का प्रकार (उधारकर्ता की पुनर्भुगतान आवृत्ति) (ii) प्रत्येक ईएमआई/ईपीआई की राशि (रुपये में) और (iii) ईपीआई की संख्या (जैसे, मासिक किस्तों के मामले में ईएमआई की संख्या) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 5ए, 5बी और 5सी – अनुलग्नक ए)	महीने के 970 24
सी)	**पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, यदि कोई हो**	-
डी)	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 5डी – अनुलग्नक ए)	DDMMYYYY
3	ब्याज दर का प्रकार (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 6 – अनुलग्नक ए)	घटती शेष राशि के आधार पर तय
4	ब्याज दर (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 6 – अनुलग्नक ए)	15 % प्रति वर्ष
5	स्वीकृति तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 7 – अनुलग्नक ए)	3,274
6	देय शुल्क/प्रभार (रुपये में)	240
ए	आरई को देय (केएफएस टेम्पलेट-अनुलग्नक ए के सीरियल नंबर 8 ए, 8 बी और 8 सी)	240
बी	RE के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	0
7	शुद्ध वितरित राशि (केएफएस टेम्पलेट -अनुलग्नक ए की क्रम संख्या 3-क्रम संख्या 8) (रुपये में)	19,600
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (केएफएस टेम्पलेट-अनुलग्नक ए के सीरियल नंबर 3 और सीरियल नंबर 7 का योग) (रुपये में)	23,274
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 11-अनुलग्नक ए)	17.07%
10	नियम एवं शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	100% अग्रिम.
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की नियत तिथि	हर महीने की 05 तारीख

• विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत दी गई किश्तों के योग से गणना की गई पुनर्भुगतान राशि में अंतर (यदि कोई हो) विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत किश्त राशि को पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है।
• APR की गणना IRR दृष्टिकोण और घटती शेष राशि पद्धति का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर की जाती है। • इस ऋण सुविधा पर लागू शुल्क और कटौती आवेदन पत्र में उल्लिखित हैं और मुझे विधिवत समझा दी गई हैं।

अनुलग्नक सी

अनुलग्नक बी में दर्शाए गए काल्पनिक ऋण के लिए समान आवधिक किस्त के अंतर्गत उदाहरणात्मक पुनर्भुगतान अनुसूची